बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–PMU/AIDIP/13 / 2014– 587 / कृ०, पटना, दिनांक 26 मार्च, 2015

प्रेषक,

प्रभु राम,
सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा: वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय **एग्रीबिजनेस इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत "JFPR-Assistance for Improving Small Farmers Access to market in Bihar (Grant No. 9147-IND)" के सूत्रण एवं कार्यान्वयन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी०एम०यू०) के लिए वर्ष 2014–15 में ₹61,89,530.00 लाख (एकसठ लाख नवासी हजार पांच सौ तीस रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश– **स्वीकृत।**

निदेशानुसार कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या–पी०पी०एम०–11 / 2013–2847 दिनांक 31.05.2013 (अनुसूची–1) तथा राज्यादेश संख्या–5469 दिनांक 04.11.2013 (अनुसूची–2) के क्रम में राज्य सरकार द्वारा एग्रीबिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट इन्वेस्टमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत "JFPR-Assistance for Improving Small Farmers Access to market in Bihar (Grant No. 9147-IND)" के सूत्रण एवं कार्यान्वयन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी०एम०यू०) के लिए वर्ष 2014–15 में कृषक समूह का गठन एवं उत्पादक कम्पनी, क्षमता विकास, कृषक एवं क्रेता हेतु सुविधा विकास, परियोजना प्रबंधन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए कुल ₹61,89,530.00 लाख (एकसठ लाख नवासी हजार पांच सौ तीस रूपये) मात्र सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि विभाग को "JFPR-Assistance for Improving Small Farmers Access to market in Bihar (Grant No. 9147-IND)" सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी एकमुश्त बी.टी.सी. फार्म–42 पर निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी, जिसके साथ बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी से प्राप्त पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। सहायक अनुदान की राशि की निकासी के पश्चात् बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी को सहायक अनुदान के रूप में Grant Implementation Unit-JFPR, Bihar के पदनाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। विपत्र में योजना नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही एशियन विकास बैंक के प्रोक्योरमेंट गाईडलाइन्स के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी।

3. कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या–पी०पी०एम०–11 / 2013–2847 दिनांक 31.05.2013 तथा राज्यादेश संख्या–5469 दिनांक 04.11.2013 द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम एवं शर्ते यथावत रहेंगी। प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन के हित में यथावश्यक निर्णय लिया जा सकेगा।

4. (क) निकासी के लिए स्वीकृत 51.37310 लाख (एकावन लाख सैतीस हजार तीन सौ दस) रूपये मात्र का व्यय मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण उप शीर्ष 0114 – एग्री बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट इन्वेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट (बाह्य सम्पोषित परियोजना) विपत्र कोड–P2401001090114 माँग सं०–01 विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा वर्ष 2014–15 के उपबंधित राशि 220.50 लाख (दो करोड़ बीस लाख पचास हजार) रूपये मात्र से विकलनीय होगा।

(ख) निकासी के लिए स्वीकृत 9.90325 लाख (नौ लाख नब्बे हजार तीन सौ पच्चीस) रूपये मात्र का व्यय मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 789– विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण उपशीर्ष 0132 – एग्री बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट इन्वेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट (बाह्य सम्पोषित परियोजना) विपत्र कोड–P2401007890132 माँग सं०–01 विषय शीर्ष 3106 सहायक

अनुदान वेतनादि के अलावा वर्ष 2014–15 के उपबंधित राशि 560.00 लाख (पांच करोड़ साठ लाख) रूपये मात्र से विकलनीय होगा।

(ग) निकासी के लिए स्वीकृत 0.61895 लाख (एकसठ हजार आठ सौ पन्चानवे) रूपये मात्र का व्यय मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 796– विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण उपशीर्ष 0154 – एग्री बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट इन्वेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट (बाह्य सम्पोषित परियोजना) विपत्र कोड–P2401007960154 माँग सं०–01 विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा वर्ष 2014–15 के उपबंधित राशि 19.10 लाख (उन्नीस लाख दस हजार) रूपये मात्र से विकलनीय होगा।

5. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि० (2) दिनांक 03.01.2008 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक 07.05.2013 तथा 15.10.2013 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या–पी०पी०एम०–11/2013 के पृ०सं०–27 एवं 56/टि० पर प्राप्त है।

6. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

7. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–PMU/AIDIP/13/2014 के टिप्पण पृष्ठ 11/टि० पर दिनांक 23.03.2015 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

26/3/15

(प्रभु राम)
सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 587 /कृ०, पटना, दिनांक 26 मार्च, 2015

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 587 /कृ०, पटना, दिनांक 26 मार्च, 2015

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 587 /कृ०, पटना, दिनांक 26 मार्च, 2015

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 587 /कृ०, पटना, दिनांक 26 मार्च, 2015

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार, पटना/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।